पत्र सं0-न्याय-2/वापसी/2012-13 / 1213043 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
(न्याय अनुभाग)
उत्तर प्रदेश
लखनऊ :: दिनांक : 26 जुलाई,12

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र सं0 -न्याय-2/वापसी/2012-13/ 1213012 / वाणिज्य कर दिनांक 22 मई , 2012 द्वारा रिफण्ड रजिस्टर के रखरखाव के संबंध में विस्तृत निर्देश निर्गत किए गए हैं तथा कर निर्धारण अधिकारियों के कार्यालय एवं आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर के प्रारूप-अ तथा प्रारूप-ब भी इस निर्देश के साथ प्रेषित किए गए हैं कि इनका रखरखाव तदनुसार किया जाना सुनिश्चित कराया जाए ।

आशा है उक्त रजिस्टरो का तदनुसार रखरखाव आपके द्वारा सुनिश्चित करा लिया गया होगा तथा इस संबंध में इन रजिस्टरों में इन्द्राज किए गए रिफण्ड के प्रकरणों के संबंध में वस्तुस्थिति की समीक्षा भी कर ली गयी होगी ।

मुख्यालय द्वारा जारी पत्र सं0-न्याय-2-वापसी-2011-12/2477 / वाणिज्य कर दिनांक 29 मार्च ,2012 द्वारा प्रमुख सचिव वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग , उत्तर प्रदेश के पत्र सं0 126/ग्यारह-2-2012-9(41)9 दिनांक 27-2-2012 द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में रिफण्ड के लम्बित प्रकरणों के विवरण उपलब्ध कराने हेतु एक प्रारूप प्रेषित किया गया था जिसमें रिफण्ड सम्बंधी सूचना प्रति माह प्रेषित किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए थे । इस प्रारूप को अतिक्रमित करते हुए परिपत्र सं0 -न्याय-2/वापसी/2012-13/ 1213012 / वाणिज्य कर दिनांक 22 मई , 2012 के परिप्रेक्ष्य में रिफण्ड संबंधित विवरण निम्न प्रारूप में प्रेषित किए जाने के निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

प्रारूप -क

जोन का नाम ;. . . . .

माह का नाम : . . . . . .

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	क0नि0 वर्ष	देय रिफण्ड की धनराशि (लाख रु0 में)	तिथि जब रिफण्ड देय (Due) हुआ ।	रिफण्ड दिए जाने की तिथि	विलम्ब की अवधि	विलम्ब से रिफण्ड दिए जाने के कारण	यदि रिफण्ड लम्बित है तो उसका कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त विवरण कर निर्धारण अधिकारियों के कार्यालयों में रखरखाव किए जा रहे रिफण्ड रजिस्टर प्रारूप-अ के अनुरूप ही संसूचित किए जायें । यह पुन: उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त प्रारूप में वे सभी मामले उल्लेख किए जायेंगे जिनमें रिफण्ड की कार्यवाही संगत

माह में निष्पादित की गयी है तथा उन मामलों का भी उल्लेख किया जाएगा जिनमें रिफण्ड आदेश तो निर्गत हैं परन्तु किसी कारण वश (जिसका कि उल्लेख प्रारूप-क के कालम-9 में किया जाएगा) यह रिफण्ड निर्गत नहीं किए जा सके हैं ।

उक्त प्रारूप में रिफण्ड के विवरण मासिक रूप से संगत माह की समाप्ति के पश्चात अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक मुख्यालय प्राप्त कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि इस पर मुख्यालय पर आहूत मासिक बैठक में विचार किया जा सके ।

कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें ।

(हिमांशु कुमार)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश